(5)

R-1711/एक/14

1. कंचनबाई विधवा रामसिंह जाति धाकड़
2. गोकुल प्रसाद दत्तक पुत्र रामसिंह धाकड़
   समस्त निवासी सैमली तहसील नलखेडा।
3. यशोदाबाई पति बालचंद जाति कुल्मी निवासी
   भैसोदा तहसील नलखेड़ा जीला आगर।

.......................निगरानीकृर्तागण

विरूद्ध

1. घनश्याम पिता रामलाल निवासी ग्रम भैसोदा
2. प्रेमनारायण पिता भवंरलाल ग्राम सेमली
   तहसील नलखेडा जिला आगर।

.......................रेस्पांडेन्ट

(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1711 –एक/14 (कन्चनबाई/घनश्याम) जिला आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–5–2014 उज्जैन कैंप	आवेदक की ओर से श्री एन0एस0सिसौदिया, अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के अपीलीय आदेश दिनांक 30–4–2014 से प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई उपरांत आदेश पारित करने के लिये रिमाण्ड किया है जबकि म0प्र0भू–राजस्व संहिता में हुये संशोधन अनुसार अपील प्रकरण में प्रकरण को रिमाण्ड नहीं करते हुये अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर स्वयं आदेश पारित करना चाहिये था । इन परिस्थितियों में प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाक 30–4–2014 विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में म0प्र0भू–राजस्व संहिता में हुये संशोधन अनुसार उभयपक्ष को पुनः सुनकर गुणदोष पर आदेश पारित करें । प्रशासकीय सदस्य	